07/2024

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गयी थी, पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम मालनगर तहसील नीमकाथाना सम्वत् 2075–2078 के विवादित खसरा नम्बर 798 रकबा 2.4600 हैक्टे. की खातेदारी वादीगण के नाम अन्य सहखातेदारान के साथ होना पायी जाती है। प्रतिवादीगण खातेदार होना नही पाये जाते है। प्रतिवादीगण बाद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे है। इससे जाहिर होता है कि वादीगण के वाद का विरोध नही करना चाहते है। वादीगण का वादपत्र स्थाई निषेधाज्ञा का है। खातेदार कानूनन अपनी सींव डोल एवं कृर्षि भूमि की सुरक्षा के लिए न्यायालय से स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मालनगर के भूमि खसरा नम्बर 798 रकबा 2.46 हैक्टे. की उत्तरी कदीमी सींवडोल क्षतिग्रस्त ना करें। जबरन अतिक्रमण ना करें, बेदखल ना करें, किसी प्रकार का निर्माण ना करें। डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर् हो।

निर्णय सरे [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:11:49 IST
Reason: SelfAttested

[signature]

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner